संख्या:- 36/2024/372/छप्पन-2024-37(सा0)/2020

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 16 मार्च, 2024

विषय:- नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा उपकरणों की स्थापना हेतु उपकरण क्रय किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-383/ना0उ0नि0/सुरक्षा/2024 दिनांक 11 मार्च, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा उपकरणों की स्थापना हेतु सुरक्षा विभाग, उ0प्र0 से निम्नलिखित सुरक्षा उपकरणों के क्रय किए जाने हेतु रू0 85,12,443/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0 सं0	विवरण	संख्या	कुल धनराशि (कर सहित)
1.	एक्स-रे वी0आई0एस0 (साइज 100X100)	01	72,90,000.00
2.	डी0एफ0एम0एम0डी0 मल्टीजोन	03	11,66,031.00
3.	एच0एच0एम0डी0	04	45,152.00
4.	यू0वी0एस0एम0	01	11,260.00
		कुल धनराशि	**85,12,443.00**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा उपकरणों यथा एक्स-रे वी0आई0एस0 (साइज 100X100) (संख्या-01), डी0एफ0एम0एम0डी0 मल्टीजोन (संख्या-03), एच0एच0एम0डी0 (संख्या-04) एवं यू0वी0एस0एम0 (संख्या-01) का क्रय सुरक्षा विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से किए जाने हेतु कार्योत्तर प्रशासकीय अनुमोदन एवं रू0 85,12,443/- (रूपए पच्चासी लाख बारह हजार चार सौ तैंतालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एवं बिल भुगतान की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

4- बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

5- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 85,12,443/- (रूपए पच्चासी लाख बारह हजार चार सौ तैंतालीस मात्र) तत्काल आवंटित कर सम्बन्धित को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के पूंजी लेखा, लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-04-नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' से वहन किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: E-7-692-X-2023-24-दिनांक:16-3-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

पृ0सं0- 36/2024/372(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. पुलिस अधीक्षक, म0प्रति0 सुरक्षा विभाग, उ0प्र0 पुलिस, 413 डा0 बैजनाथ रोड, न्यू हैदराबाद, लखनऊ-226007।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.
6. समीक्षा अधिकारी (बजट)/ गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in